गोपनीय

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

संकल्प

संचिका सं० :– 3/पी०एम०सी० / विविध /642/2023-446/राँची, दिनांक – 04/10/2024

विषयः–भारत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी संस्थान/अर्द्धसरकारी संस्थान/निजी संस्थान/अन्य को आवंटित कोल ब्लॉक से होकर गुजरने वाले झारखण्ड राज्यान्तर्गत नदी, सरिता, नाला या प्राकृतिक जल–संग्रह के जल प्रवाह को पथान्तरित (Divert) करने से सम्बंधित **Standard Operating Procedure–cum–Guidelines** जारी करने के संबंध में।

भारत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी संस्थान/ अर्धसरकारी संस्थान/निजी संस्थान/अन्य (एजेंसी) को कोल ब्लॉक आवंटित किया जा रहा है। आवंटित कोल ब्लॉक से होकर राज्य की नदी, सरिता, नाला का प्रवाह होता है एवं प्राकृतिक जल–संग्रह भी पाया जाता है। आवंटित कोल ब्लाक से उत्खनन हेतु यह आवश्यक हो जाता है कि कोल ब्लॉक से होकर गुजरने वाले नदी, सरिता, नाला अथवा प्राकृतिक जल–संग्रह के जल प्रवाह को पथान्तरित किया जाए। भारत सरकार द्वारा सरकारी संस्थान/अर्धसरकारी संस्थान/निजी संस्थान/अन्य को आवंटित कोल ब्लॉक से नदी, सरिता, नाला या प्राकृतिक जल–संग्रह के गुजरने के कारण क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य प्रभावित होने की संभावना के मद्देनजर, उक्त नदी, सरिता, नाला या प्राकृतिक जल–संग्रह के जल प्रवाह का पथांतरण हेतु सहमति प्रदान करने के निमित्त संदर्भित एजेंसी से जल संसाधन विभाग को अनुरोध पत्र प्राप्त हो रहे है।

2. भारत के संविधान के Seventh Schedule (Article 246) ListII-State List की प्रविष्टि–17 (Water, that is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power subject to the provisions of Entry 56 of List I) के अंतर्गत जल राज्य सरकार का विषय है।

3. राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित सिंचाई अधिनियम, 1997 (क्रमेण झारखण्ड सरकार द्वारा अंगीकृत) की धारा–2 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किसी नदी, सरिता, झील या प्राकृतिक जल–संग्रह या प्राकृतिक जल निकास तथा भू–गर्भ जल निकास जिस पर राज्य सरकार के अधिनियम के उपबंधों को लागू किया गया है, वह सिंचाई सकर्म की श्रेणी में आता है। उक्त अधिनियम की धारा–102 के तहत किसी सिंचाई सरणी के समीप खान–उत्पाद या मिटटी जमा करने पर निषेध है।

4. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार किसी भी कोल खनन परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के क्रम में परियोजना के क्षेत्रान्तर्गत प्राकृतिक जल– धारा (Natural Water-Course) पड़ने की स्थिति में, परियोजना प्रस्तावक (Project Proponent)/एजेंसी द्वारा उक्त प्राकृतिक जल– धारा के जल प्रवाह को पथान्तरित (Divert) करने से पूर्व सम्बंधित राज्य सरकार से अनापत्ति पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।

5. पथांतरण की इस आवश्यकता के मद्देनजर तथा नदी, नाला एवं सरिता के पथांतरण के उपरान्त Downstream में उसके प्राकृतिक स्वरुप को बरकरार/यथावत रखने हेतु केंद्र सरकार एवं राज्य

सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडो के अनुसार पथांतरण किये जाने हेतु एक मार्गदर्शिका निर्गत किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

6. उल्लेखनीय है कि नाला पथांतरण से सम्बंधित प्रस्ताव पर विभागीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु विभागीय अधिसूचना संख्या–251, दिनांक–29.03.2016 द्वारा Standard Operating Procedure अधिसूचित है, जिसमें प्रस्ताव के निष्पादन के क्रम में अन्तर्निहित गतिविधियों एवं तत्संबंधी समय–सीमा मात्र का ही उल्लेख है। अतएव, कतिपय आवश्यक प्रावधानों यथा एतद्सम्बन्धी स्वीकृति प्रदान करने के क्रम में अधिरोपित शर्तों का उल्लेख; केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला (Central Water and Power Research Station), पुणे के अतिरिक्त किसी भी भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Technology) से Model Study का अध्ययन; संदर्भित कार्य के क्रियान्वयन के क्रम में पर्यवेक्षण हेतु Centage के रूप में निर्धारित राशि की वसूली इत्यादि का समावेश करते हुए उक्त Standard Operating Procedure को नए सिरे से Standard Operating Procedure–cum–Guidelines के रूप में सृजित करने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है। तदनुसार, संबंधित Standard Operating Procedure–cum–Guidelines जारी करने के दृष्टिपथ विभागीय आदेश सं०–710, दिनांक–16.10.2023 द्वारा एक समिति का गठन किया गया।

उक्त समिति द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में, भारत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी संस्थान/ अर्धसरकारी संस्थान/निजी संस्थान/अन्य को आवंटित कोल ब्लॉक से होकर गुजरने वाले झारखण्ड राज्यान्तर्गत नदी, सरिता, नाला या प्राकृतिक जल–संग्रह के जल प्रवाह को पथान्तरित (Divert) करने हेतु अधोलिखित प्रक्रिया तथा शर्त अधिरोपित करते हुए **Standard Operating Procedure–cum–Guidelines** जारी किया जाता है –

A	प्रक्रिया
a.	भारत सरकार द्वारा विभिन्न सरकारी संस्थान/ अर्धसरकारी संस्थान/निजी संस्थान/अन्य (एजेंसी) को आवंटित कोल ब्लॉक से होकर गुजरने वाले झारखण्ड राज्यान्तर्गत नदी, सरिता, नाला या प्राकृतिक जल–संग्रह के कारण क्षेत्रान्तर्गत खनन कार्य प्रभावित होने के मद्देनजर, उक्त नदी, सरिता, नाला या प्राकृतिक जल–संग्रह के जल प्रवाह का पथांतरण हेतु सहमति प्राप्त करने के निमित्त संदर्भित एजेंसी द्वारा जल संसाधन विभाग को आवेदन (कोयला मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत Vesting Order, Approved Mining Plan, एतद्सम्बन्धी अन्य अभिलेख सहित) समर्पित किया जाएगा।
b.	प्रस्तावित पथांतरण प्रस्ताव पर क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञान, राँची की प्रारंभिक सहमति प्राप्त करते हुए विभागीय सचिव के अनुमोदनोपरान्त एजेंसी द्वारा जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत प्रतिष्ठित संस्था केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला (Central Water and Power Research Station), पुणे अथवा किसी भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान (Indian Institute of Technology) से Model Study कराया जाएगा। उक्त Model Study के आधार पर एजेंसी द्वारा पथांतरण प्रस्ताव का विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा।
c.	तदोपरांत, एजेंसी द्वारा Model Study एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पर सम्बंधित क्षेत्रीय

	मुख्य अभियंता एवं मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञानं, राँची से सहमति प्राप्त करते हुए विभाग में समर्पित किया जाएगा। उक्त सहमति प्रदान करने के क्रम में मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञानं, राँची द्वारा विशेषकर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पथांतरण के पश्चात Downstream में पथान्तरित किये गए जल निकाय के Hydraulic Parameters & State of Regime पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।
d.	संदर्भित पथांतरण हेतु विभागीय मंत्री के अनुमोदनोपरान्त एजेंसी को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। कंडिका–6B में अधिरोपित शर्त उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र का अभिन्न अंग होगा एवं एजेंसी को अनुमान्य होगा। इसके लिए, अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन के पूर्व एजेंसी द्वारा यथाउल्लेखित शर्तों पर सहमति (Undertaking) समर्पित करना अपरिहार्य होगा।
e.	पथांतरण से सम्बंधित कार्यों का कार्यान्वयन एवं निष्पादन क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार के पर्यवेक्षण में एजेंसी द्वारा संपन्न किया जाएगा। इसके लिए, अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गमन के उपरान्त एजेंसी द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन में सन्निहित प्रावधानों के आलोक में झारखंड राज्य अंतर्गत प्रभावी अनुसूचित दर के आधार पर योजना का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार को समर्पित किया जायेगा एवं स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
f.	प्रस्तावित योजना क्रियान्वयन की अवधि में पर्यवेक्षण हेतु विभागीय मानव बल की आवश्यकता को देखते हुए क्षेत्रीय मुख्य अभियंता द्वारा संदर्भित कार्य हेतु Centage के रूप में राशि की वसूली योजना सह वित्त विभाग (वित्त प्रभाग), झारखंड सरकार की संकल्प ज्ञापांक वित्त–7/वित्तीय नियंत्रण/1003/2011/3201/ वि०, दिनांक–04.11.2016 के आलोक में की जाएगी।
g.	तत्पश्चात, क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार की अनुमति प्राप्त कर एजेंसी द्वारा कार्यारम्भ किया जा सकेगा। संदर्भित पथांतरण योजना का कार्यारम्भ के पूर्व कार्यकारी आलेख्य की Vetting मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञानं, राँची से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। निर्माण के उपरान्त जलधारा के स्थायित्व (State of Regime) प्राप्त करने संबंधी अभिमत क्षेत्रीय मुख्य अभियंता एवं मुख्य अभियंता, रूपांकण, समग्र योजना एवं जल विज्ञानं, राँची से प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
B	**शर्त**
a.	पथांतरण प्रस्ताव स्पष्टतः कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश, झारखंड सिंचाई अधिनियम, 1997 तथा कालान्तर में एतद्संबंधी केन्द्र/राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आदेश/अनुदेश/मार्गदर्शिका/नियम/उपनियम इत्यादि से आच्छादित होगा।
b.	उक्त पथांतरण हेतु निर्माण योजनाओं के क्रियान्वयन के पूर्व सभी वांछित वैधानिक लाइसेंस, परमिट, अनुमति, अनुमोदन या सहमति, तथा पथांतरण हेतु आवश्यक भूमि अधिग्रहण, वनभूमि क्लीयरेंस, पर्यावरणीय क्लीयरेंस इत्यादि एजेंसी द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उक्त पथांतरण हेतु योजनाओ के निर्माण से संबंधित जल संसाधन प्रबंधन एजेंसी को अपनी लागत पर करना होगा।

c.	एजेंसी द्वारा प्रस्तावित पथांतरण हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन से संदर्भित कार्यों का अक्षरशः क्रियान्वयन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा।
d.	प्रस्तावित पथांतरण हेतु निर्माण कार्य एवं तत्संबंधी समस्त गतिविधियों से सम्बंधित सृजित वित्तीय दायित्वों के वहन की जिम्मेवारी पूर्ण रूप से एजेंसी की होगी।
e.	नदी/नाला के प्रस्तावित पथांतरण के पश्चात पथांतरण निर्माण योजनाओं के रख–रखाव का कार्य, Mining Lease Period तक, एजेंसी द्वारा अपनी लागत पर ही किया जाएगा।
f.	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार द्वारा अनुमति निर्गमन के उपरान्त ही वर्त्तमान (Existing) नदी/धारा के बेड एवं आस–पास के क्षेत्रों में खनन गतिविधियाँ प्रारम्भ की जा सकेगी।
g.	नदी/धारा प्रवाह से किसी प्रकार की क्षति (Ecological & Environmental सहित) और/या डाउनस्ट्रीम में अवस्थित निवासियों/वनस्पति/जीव–जंतु/सिंचाई योजना पर अनुवर्ती प्रतिकूल प्रभाव की पूर्ण जिम्मेदारी एजेंसी की होगी, जिसके लिए एजेंसी पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
h.	एजेंसी यह सुनिश्चित करेगी कि नदी/नाला के प्रस्तावित पथांतरण के कारण डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के तटवर्ती अधिकार (Riparian Rights) प्रभावित नहीं हो। डाउनस्ट्रीम क्षेत्र में रहने वाले लोगों के तटवर्ती अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एजेंसी द्वारा नदी/नालों में पानी की मात्रा एवं गुणवत्ता बनाए रखी जाएगी। वनस्पति और जीव–जंतु (Flora and Fauna) की अक्षुण्णता के मद्देनजर, एजेंसी द्वारा किसी भी अनुपचारित तथा दूषित अपशिष्ट पदार्थो को नदी/नालों में प्रवाहित/निस्तारित नही किया जाएगा। पर्यावरणीय क्लीयरेंस के क्रम में भारत सरकार द्वारा जारी मानक शर्तो में निहित "Water quality monitoring and preservation" का पालन एजेंसी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
i.	नदी/नाला के प्रस्तावित पथांतरण के क्रम में एजेंसी द्वारा निर्माण से सम्बंधित किसी भी प्रकार की गतिविधि/हस्तक्षेप, हाइड्रोलिक बाध्यता (Compulsion) तथा संरचनात्मक सुरक्षा मानकों के अनुरूप किया जाएगा। कार्य निष्पादन के क्रम में एजेंसी द्वारा बैरिकेडिंग, डिस्प्ले बोर्ड तथा अन्य आवश्यक सावधानी बोर्ड का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
j.	एजेंसी द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पथान्तरित नदी/नाला रूपांकित जलश्राव (Design Discharge) के दृष्टिकोण से पर्याप्त है। पथांतरण के उपरांत पथांतरण हेतु निर्मित चैनल की विफलता अथवा क्षतिग्रस्त होने पर उससे यदि नदी/नाला के मार्ग में परिवर्तन होता है तो एजेंसी द्वारा अपनी लागत पर चैनल का पुनर्निर्माण किया जायेगा; नदी नाला के प्राकृतिक स्वरुप को स्थापित करने की कार्रवाई की जायेगी एवं सार्वजनिक/निजी संपत्ति को नुकसान होने पर उसके मुआवजा का भुगतान एजेंसी द्वारा किया जाएगा।
k.	नदी/नाला के प्रस्तावित पथांतरण के संरेखण (Alignment) में किसी भी पेड़ को काटने या उपयोगी सेवाओं को हटाने की आवश्यकता के मद्देनजर, एजेंसी द्वारा सक्षम प्राधिकार से अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

l.	नदी/नाला के प्रस्तावित पथांतरण हेतु किए जाने वाले निर्माण के क्रम में होने वाले नुकसान की प्रतिपूर्ति हेतु एजेंसी द्वारा प्रतिष्ठित बीमा कंपनी से बीमा किया जाएगा। पथांतरण के कारण किसी भी संपत्ति को होने वाले नुकसान की स्थिति में, जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार किसी भी तरह से जवाबदेह या उत्तरदायी नहीं होगी।
m.	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड द्वारा समय–समय पर निर्गत भू–अर्जन एवं भू–हस्तांतरण से संबंधित नियम/अधिनियम प्रश्नगत पथांतरण पर लागू होगा।
n.	नदी/नाला के प्रस्तावित पथांतरण के निर्माण के क्रम में यदि विस्थापन एवं पुनर्वास की समस्या आती है तो उसका निराकरण राज्य में लागू झारखण्ड पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार सम्बंधित एजेंसी द्वारा अपनी लागत पर किया जाएगा।
o.	सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकारी मानदंडों का पालन करते हुए, एजेंसी द्वारा प्रस्तावित पथान्तरित चैनेल से खनन परिचालन सीमा तक सुरक्षित दूरी बनाए रखना सुनिश्चित किया जाएगा।
p.	नदी/नाला के प्रस्तावित पथांतरण के निर्माण के संबंध में इसे कैडस्ट्रल मानचित्र तथा आरओआर (Cadestral Map & ROR) में शामिल करने के उद्देश्य से एजेंसी द्वारा राजस्व अधिकारियों यथा, जिले के कलेक्टर, अंचलाधिकारी, तहसीलदार इत्यादि को सूचित किया जाएगा।
q.	खनन पट्टा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जलग्रहण क्षेत्रों (Catchment Area) के Flood Water की निकासी के लिए एजेंसी द्वारा परिधीय नालियों (Peripheral drains) का निर्माण किया जाएगा।
r.	नदी/नाला के प्रस्तावित पथांतरण के लिए एजेंसी द्वारा स्थानीय ग्रामीणों के हितों का समुचित ध्यान रखा जाएगा।
s.	नदी/नाला के प्रस्तावित पथांतरण के पश्चात अपरिहार्य स्थिति में किसी प्रकार की तकनीकी परिमार्जन की आवश्यकता के मद्देनजर, Mining Lease Period तक, यदि एतद्सम्बन्धी अतिरेक अधिभार सृजित होता है, तो इसकी सम्पूर्ण प्रतिपूर्ति एजेंसी द्वारा ही की जायेगी।
t.	प्रस्तावित नदी/नाला पथांतरण हेतु अर्जित भूमि सहित एतद्सम्बन्धी समस्त सृजित सन्निर्माण परिसम्पत्तियों का पूर्णकालिक स्वामित्व राज्य सरकार का होगा।
u.	संदर्भित पथांतरण योजना के निष्पादन के दौरान या उसके पश्चात किसी भी समय प्रस्तावित नदी/नाला को अक्षुण्ण बनाए रखने के मद्देनजर, आवश्यकतानुसार किसी प्रकार के अन्य कार्य करने का आदेश देने का अधिकार जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार के पास सुरक्षित रहेगा। जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार के निर्देशानुसार एजेंसी अपनी लागत पर इसे निष्पादित करने के लिए बाध्य होगी।
v.	प्रस्तावित पथांतरण हेतु प्रक्रिया तथा शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में, एजेंसी को प्रदान की गई अनुमति की समीक्षा/संशोधन/निरस्त करने का अधिकार जल संसाधन विभाग, झारखंड सरकार के पास सुरक्षित रहेगा।

7. संकल्प की कंडिका– 6 में अंकित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की दिनांक– 27.09.2024 की बैठक में मद संख्या– 29 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाए।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

01/10/24

(प्रशांत कुमार)
सचिव
जल संसाधन विभाग,
झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक–3/पी०एम०सी०/ विविध /642/2023-446 राँची/दिनांक–04/10/2024

प्रतिलिपिः महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव/सरकार के सभी अपर मुख्य सचिव/सरकार के सभी प्रधान सचिव/सरकार के सभी सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/मुख्य सचिव के अपर मुख्य सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/10/24.

(बिजय कुमार भगत)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

ज्ञापांक–3/पी०एम०सी०/ विविध /642/2023-446 राँची/दिनांक–04/10/2024

प्रतिलिपिः महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04/10/24.

(बिजय कुमार भगत)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

ज्ञापांक–3/पी०एम०सी०/ विविध /642/2023-446 राँची/दिनांक–04/10/2024

प्रतिलिपिः अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, झारखण्ड, राँची को राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि राजपत्र की 100 (सौ) प्रतियाँ जल संसाधन विभाग, झारखण्ड को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

04/10/24.

(बिजय कुमार भगत)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

ज्ञापांक–3/पी०एम०सी०/ विविध /642/2023 446 राँची/दिनांक– 04/10/2024

प्रतिलिपिः सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/अभियंता प्रमुख–I/II, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता योजना मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/सभी मुख्य अभिंयता, जल संसाधन विभाग (लघु सिंचाई सहित)/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) जल संसाधन विभाग/अधीक्षण अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन अंचल–1/2/3, राँची/सभी अधीक्षण अभियंता, (लघु सिंचाई सहित)/सभी कार्यपालक अभियंता, (लघु सिंचाई सहित)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

04/10/24

(बिजय कुमार भगत)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।

ज्ञापांक–3/पी०एम०सी०/ विविध /642/2023 446 राँची/दिनांक– 04/10/2024

प्रतिलिपिः वेब इनफॉर्मेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

04/10/24

(बिजय कुमार भगत)
संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, राँची।